समाहरणलय – लखीसराय

संभावित बाढ़/सुखाड़ से निपटने हेतु पशु चारा की आवश्यकता को देखते हुए निम्नांकित पशु चारा की आपूर्ति हेतु न्युनतम दर निर्धारण हेतु इच्छुक प्रतिष्ठान /आपूर्तिकर्ताओं से सूचना प्रकाशन की तिथि से 15 में दिन को 5. 00 बजे पूर्वाह्न तक मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है और अगले कार्य दिवस को 11. 00 बजे पूर्वाह्न के अधोहस्ताक्षरी कार्यालय कक्ष में जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला स्तरीय गठित क्रय समिति के समक्ष इन्हें खोलकर दर एंव आपूर्तिकर्ता का निर्धारण किया जायेगा जिसमें प्रत्येक निविदादाता या उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति वांछित होगी। यह निविदा आपदा प्रबंधन मद में वितीय वर्ष 2017 – 18 में प्राप्त आंवटन/प्राप्त होनेवाले आंवटन पर अधारित होगी। आवश्यक पशु चारा की सूची निम्न प्रकार है।–

क्र0सं0	पशुचारा का नाम	गूणवता	विवरणी	पशुचारा की मात्र
1	2	3	4	5
2	पुआल की कुटटी	उतम किस्म	प्रति किवंटल	आवश्यकता नुसार
3	गेहुँ का भूसा	उतम किस्म	प्रति किवंटल	आवश्यकता नुसार

निविदा की शर्ते निम्नलिखित है : –

1. निविदादाताओं अथवा संबंधित फर्म यह निविदा मात्र दर निर्धारण हेतु है। आवश्यक सहायक चारा की आवश्यकता पड़ने पर कार्यादेश निर्गत किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आपूर्ति विभिन्न प्रखण्डो में ली जायेगी। तकनिकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वितीय निविदा खोली जायेगी।
   तकनिकी निविदा में दिये जाने वाले दस्तावेज इस प्रकार होगें।
   (क) रू 5000 का डिमांड ड्राफट सुरक्षित जमा राशि के रूप में।
   (ख) विकी कर निबंधन प्रमाण – पत्र की प्रति।
   (ग) अधतन आयकर रिर्टन/पैनकार्ड की छाया प्रति।
   (ध) निविदादाता के काली सूची में दर्ज नहीं होने का प्रमाण – पत्र
2. वितरण स्थल तक पहुँचकर, तौलाकर एंव रखवाकर प्रति क्विंटल दर अंकित रहना अनिवार्य है।
3. निविदाताओं की आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा का 500 ग्राम नमूना के रुप में, जो पारदर्शी प्लास्टिक के थैले में मुहरबंद कर निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य है।
4. आपूर्ति की जानेवाली सूखा चारा निविदा के साथ जमा किये गये नमूना के अधार पर नहीं होने पर आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
5. आपूर्ति आदेश निर्गत होने वास्तविक आपूर्ति की स्थिति में नियमानुसार करो की कटौति की जायेगी। निविदादाताओं की विकी कर निबंधन प्रमाण – पत्र देना आवश्यक होगा। साथ ही पैन कार्ड/अधतन रिर्टन की छाया प्रति देनी होगी।
6. एक से अधिक निविदादाताओं का एक ही दर स्वीकृत होने पर संबंधित पदाधिकारी द्वारा किसी भी संवेदक का आपूर्ति आदेश देने का अधिकार सुरक्षित होगा।
7. निविदा समिति की बिना कोई कारण बताये निविदा रद करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

जिला पशुपालन पदाधिकारी
लखीसराय

जिला पदाधिकारी
लखीसराय